

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/3121/

जबलपुर, दिनांक 4 / 7 / 2019

दो-13-30/18

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2019 के प्रावधान दिनांक 01.07.2018 से प्रभावी होने से श्री जगन्नाथ कुशवाहा, सेवानिवृत्त भृत्य को सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.18 पर 242 दिन अर्जित अवकाश नगदीकरण की पात्रता आती है जिसमें पूर्व नियमानुसार रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/4711 जबलपुर, दिनांक 06/10/2018 के द्वारा 240 दिन के अर्जित अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष 2 दिन के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सही/-
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्र. C/3122/

जबलपुर, दिनांक 4 / 7 / 2019

दो-13-30/18

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
3. अनुभाग अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/अवकाश/सेवापुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
6. श्री जगन्नाथ कुशवाहा, सेवानिवृत्त भृत्य, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
पता-1463 कैलाशपुरी गुप्तेश्वर जबलपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(अजय पवार)
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)
H 2-1-5

